



2026:AHC:14366

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 32453 वर्ष 2025

अमन सिद्दीकी

.....आवेदक

बनाम

उ० प्र० राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : इर्शाद हुसैन, प्रणव तिवारी, शेख मुअज्जम इनाम

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, कमलेश कुशवाहा, राकेश कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा तथा राज्य-प्रतिवादीगण के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना गया, तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन तहत धारा 483 भा०न०सु०सं० अभियुक्त-आवेदक अमन सिद्दीकी की ओर से थाना मिलक, जिला रामपुर में भा०न०सं० की धारा 333, 352, 351(3), 126(2), 75(2), 78 एवं उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 एवं 5(1) के अधीन पंजीकृत वाद अपराध संख्या 2025 का 382 में जमानत पर रिहाई की याचना के साथ दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस वाद अपराध संख्या में झूठा आलिप्त किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.08.2024 को प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा आवेदक के विरुद्ध दर्ज की गई, जिस पर धर्म संपरिवर्तन में संलिप्त होने का आरोप है। भा०न०सु०सं० की धारा 180 एवं 183 के अधीन अभिलिखित बयान के अनुसार, पीड़िता ने स्वीकार किया है कि वह कथित घटना से पूर्व आवेदक से प्रायः बातचीत करती थी। पीड़िता ने यह भी स्वीकार किया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि वह आवेदक को ढाई वर्षों से जानती है और मोबाइल फोन पर उससे बातचीत करती थी। आगे यह कथन किया गया है कि पीड़िता के परिवारजनों द्वारा केवल इस कारण से दबाव एवं प्रभाव डाला गया क्योंकि आवेदक भिन्न धर्म का है। कथित आरोप लगाये जाने के पश्चात् भी पीड़िता आवेदक के साथ रहना चाहती है, यदि आवेदक अपना धर्म परिवर्तन कर ले, इसीलिए उसने झूठी एवं मनगढ़न्त कहानी गढ़कर आवेदक के विरुद्ध वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। आवेदक ने पीड़िता को कभी धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सूचनाकर्ता द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि अभियुक्त-आवेदक ने किसी व्यक्ति का धर्म हिन्दू से मुस्लिम में परिवर्तित किया अथवा करने का प्रयास किया। न तो अन्वेषण अधिकारी द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य संकलित किया गया है और न ही आवेदक के कब्जे से कोई अपराध-सिद्धिकर सामग्री बरामद की गई है। आवेदक दिनांक 27.08.2025 से कारागार में निरुद्ध है। आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और उसकी अभिरक्षीय पूछताछ की अब आवश्यकता नहीं रही। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और जमानत पर रिहाई की दशा में उसके न्याय की प्रक्रिया से फरार होने या साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः जमानत की याचना की गई है।

सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने घोर विरोध किया, किन्तु इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, पुष्टिकर साक्ष्य की प्रकृति, गवाह से छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किन्तु मामले के गुणागुण पर कोई टिप्पणी किये बगैर, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक **अमन सिद्दीकी** को सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर वैयक्तिक बन्धपत्र एवं समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये:-

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाये।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्रवाई करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव)

20 जनवरी, 2026

विनोद

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।